भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 305
19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

ट्रोलिंग पर प्रतिबंध के नुकसान

305. प्रो. सौगत राय :

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के समुद्री तटों पर निर्दिष्ट अवधि में ट्रोलिंग पर प्रतिबंध के लाभ और हानि संबंधी कोई गहन अध्ययन किया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) ऐसे समय में देश के मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख): मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि की समीक्षा करने और संरक्षण एवं प्रबंधन पहलुओं को सुदृढ़ करने के उपायों का सुझाव देने के लिए समय-समय पर भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा तकनीकी समितियों का गठन किया गया है । प्रतिबंध अवधि की समीक्षा करने और संरक्षण एवं प्रबंधन पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए आगे के उपायों का सुझाव देने के लिए नवीनतम तकनीकी समिति (टीसी) दिनांक 7 अगस्त, 2019 के आदेश संख्या 30035/15/97-एफ वाई (टी-1) वॉल्यूम.V के तहत गठित की गई थी । उक्त समिति ने 5 अगस्त, 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रतिबंध अवधि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश की गई थी (यानी, पूर्वी तट पर 15 अप्रैल - 14 जून; पश्चिमी तट पर 1 जून से 31 जुलाई तक, प्रत्येक तट पर क्रमशः 61 दिन) । तदनुसार, उक्त विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर मछली पकड़ने पर एक समान प्रतिबंध लगाया गया था । तथापि, पारंपरिक गैर-मोटर चालित मछली पकड़ने की नावों (क्राफ्ट्स) को क्षेत्रीय समुद्री पानी (टेरिटोरियल वाटर्स) से आगे भारतीय ईईजेड में मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध से छूट दी गई है ।

मछली पकड़ने के लिए विनाशकारी प्रथाएं जैसे युग्मित (पेयर्ड) या बुल ट्रॉलिंग और मछली पकड़ने के लिए कृत्रिम रोशनी/एलईडी रोशनी का उपयोग भी भारतीय ईईजेड में दिनांक 10.11.2017 के आदेश एफ.सं.21001/3/2014-एफवाई(इंड) के तहत प्रतिबंधित है । केंद्र सरकार समय-समय पर तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी करती है कि वे मछली पकड़ने की स्थायी प्रथाओं को सुनिश्चित करें ।

(ग): प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान "मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरे परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सहायता" नामक गतिविधि कार्यान्वित की जा रही है जिसमें प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान मछुआरे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

*****